राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–252/2025

ओमप्रकाश सैन

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.01.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सुमेरगंज मण्डी, ब्लॉक के.पाटन से मगाराวि गेण्डोलीखुर्द ब्लॉक के.पाटन में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को गलत रूप से अधिशेष घोषित करते हुए दूर स्थानान्तरित किया गया है, जिससे अपीलार्थी को विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पडेगा।
3. हमने विद्वान् अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।
4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर अधिशेष है इस आधार पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण नये स्थान पर किया गया है। चूंकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण अधिशेष कार्मिक होने के कारण किया गया है, जो उसी ब्लॉक में किया गया है। अतः यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण

दूर किया गया हो। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक की निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)